

मध्य प्रदेश शासन  
चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 23/04/2018

क्रमांक एफ 2-24/2018/1/55 :: राज्य शासन एतद्वारा शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिये निम्नानुसार अधिकार प्रत्यायोजित करता है :-

- (i) राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये गये चिकित्सा शिक्षक जो प्रतिनियुक्ति पर स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत महाविद्यालय में कार्यरत हैं उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देने के लिये संबंधित संभाग के संभागायुक्त को अधिकृत किया जाता है, एवं
- (ii) चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी समिति द्वारा नियुक्त चिकित्सा शिक्षक को विदेश यात्रा की अनुमति हेतु संस्था की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। कार्यकारी समिति यथोचित प्रस्ताव पारित कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (अधिष्ठाता) को इस हेतु संकेत दे सकते हैं।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(नरेन्द्र सिंह परमार)

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 23/04/2018

पृ.क्रमांक एफ 2-24/2018/1/55

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव मान. राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
  2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल।
  3. समस्त संभागायुक्त, मध्य प्रदेश।
  4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
  5. वेब मैनेजर, विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
  6. स्टाक पंजी
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

स्था. राज.

11.04.18

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा	
मध्य प्रदेश	
आवक क्रमांक	2058
दिनांक	23.4.18
शाखा का नाम	
रिसार्क	JME

मंत्रि देवेंद्र कुमार शर्मा  
अपर सचिव  
23/4/18